



## कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,  
ई-मेल : [nigam\\_bhilai@yahoo.co.in](mailto:nigam_bhilai@yahoo.co.in)

क्रमांक / सात / दो / भ.अ. / 2025 /

131

भिलाई, दिनांक २९/५ / २०२५

// नोटिस //

प्रति,

1. श्री मंगेश वैद्य आ. एन.डब्यु वैद्य
  2. दक्ष वैद्य आ. मंगेश वैद्य
  3. योगेश वैद्य आ. एन.डब्यु वैद्य

पता— सकान नं. 25, कामशिलय कम्प्लेक्स

नेहरू नगर. (पर्व) भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

अतैष रूप से भखण्डो का विक्रय किये जाने दस्तरण करने के संबंध में

## **विषय :-**

अवैध रूप से भूखण्डो का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के सबै भी पत्र

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक / 101 / मु.व.उ.प. / 2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक / 103 / मु.व.उ.प. / 2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

~~~~~0000~~~~~

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, मिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लाटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कोहका खसरा क्रमांक 66/2 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की कोहका खसरा क्रमांक 66/2 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए है। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(g)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा च्युनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुमानि से दाएंडे विवरण आगे ब्राप्तिकर है।  
अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध  
कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा  
292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर  
अधोहस्ताकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य  
आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने  
अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त  
कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुष्मान

## नगर सालिक निगम भिलाई

भिलाई, दिनांक २९/ ५/ २०२५

पंक्र./सात/दो/भ.अ./2025/

192

**प्रतिलिपि :-**

- निलाप :-

  - कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
  - पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
  - जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
  - अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
  - तहसीलदार, दुर्ग / अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
  - जोन आयुक्त, जोन क्र. 01 नेहरू नगर, नगर पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

## आयुक्त नगर पालिका निगम भिलाई